

# Sub Registry Office, Phulwarisharif

## Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 6609

RTPS No.:-  
030118287002203129

चूंकि श्री GORAKH SINGH ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवमारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवमारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 31/01/2014 से ता० 02/07/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवमारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वाड़ नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ से	पृष्ठ तक	वर्ष
1	PHULWARISHARIF	SAMPATCHAK	SONA GOPALPUR (124)	392,477	552, 553	53 DEC		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवमारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम -PAWAN KUMAR  
U D C

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-


नाम -Kundan Kumar  
L.D.C.

कार्यालय -

Sub Registry Office,  
Phulwarisharif

तारीख -

04/07/2022



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अवर निबंधक

फुलवारी शरीफ (पटना)

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अन्तर्गत प्रमाणित हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवमारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवमारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।


पत्रांक:- 6609 दिनांक:- 02/07/2022

शाखा प्रबंधक SBI के पत्र दिनांक 02/07/2022



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
अवर निबंधक  
फुलवारी शरीफ (पटना)

For VIBHAS BUILDTECH INDIA PVT. LTD.



DIRECTOR